

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला – बड़वानी (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 160 / 2012
संस्थित दिनांक-17.04.2012

म.प्र. राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र अंजड जिला बड़वानी म.प्र. अभियोगी

वि रु द्ध

1. हीरालाल पिता रणछोड मानकर, उम्र 45 वर्ष,
निवासी ग्राम हतौला थाना अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.
2. सालकराम पिता कोल्या मानकर, उम्र 45 वर्ष,
निवासी ग्राम उचावद थाना अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा — श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।

अभियुक्त द्वारा — श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

--:: नि र्ण य ::--

(आज दिनांक 02/12/2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 39/12 के आधार पर आरोपी हीरालाल के विरुद्ध दिनांक 06.04.2012 को दिन में लगभग 2:30 बजे ग्राम उचावद में फरियादीया बसंतीबाई के घर के सामने लोकस्थान पर अश्लील गॉलियां देकर उसे और सुनने वाले को क्षोभ कारित करना, उसे धारदार वस्तु कुल्हाड़ी मार कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर अभियुक्त आपराधिक अभित्रास कारित करने भा.द.सं. की धारा 294, 324, 506 का आरोप हैं तथा आरोपी सालकराम इसी स्थान, समय व स्थान फरियादीया बसंतीबाई उपहति कारित करने का सामान्य आशय आरोपी हीरालाल के साथ मिलकर बनाने और उसके अनुशरण में बसंतीबाई का धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मारकर उपहति कारित करने के लिये भा.द.सं. की धारा 324/34 का आरोप है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य हैं कि अभियोजन साक्षीगण आरोपीगण को जानते हैं। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था, तथा फरियादीया बसंतीबाई आरोपी सालकराम से दिनांक 18.02.2016 को राजीनाम किया गया। जिसके आधार पर आरोपी सालकराम को भा.द.सं. की धारा 294, एवं 502 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गाय हैं।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.04.12 को दिन में 11 बजे बसंतीबाई आरोपीगण के विरुद्ध यह रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई की कल शुक्रवार को दिन के 2:30 बजे वह अपने नाती को कपड़ें पहना रही थी, तभी आरोपी सालकराम कुल्हाड़ी लेकर आया, उसके साथ आरोपी हीरालाल भी था दोनों ने उसे माँ बहन की गंदी गॉलिया दी तथा बाहर निकलने को कहा। सालकराम ने उसे कहा की वह हीरालाल की रोटी बना दिया करें तो उसने कहां की अनाज नहीं हैं, इस पर हीरालाल ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में बायी तरफ लगी, खून निकलने लगा दोनो ने उसे अश्लील गॉलिया

तथा जान से मार देने की धमकी दी राजराम पिता देवीसिंह व अजबबाई ने बीचबचाव किया दोनो अभियुक्त भाग गये उसने घटना दिनेश पटेल एवं सरपंच को बताई जिन्होंने रिपोर्ट करने का बोला साधन नहीं होने तथा शाम होने से आज रिपोर्ट करने आई हूँ। बसंतीबाई की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में अपराध क्रमांक 93/12 दर्ज कर फरियादीया को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया। फरियादीया और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये नक्शामौका बनाया गया। आरोपी हीरालाल उक्त कुल्हाड़ी जप्त की, तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी हीरालाल को भा.द.सं. की धारा 294, 324 ,तथा 506 भाग- 2 एवं आरोपी सालकराम भा.द.सं. की धारा 294, 324/24 506 भाग-2 का आरोप लगाने आरोपीगण ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा है, उनका अभिवाक् लिखा गया । द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया किन्तु बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते है-

01. क्या आरोपी हीरालाल ने दिनांक 05.04.12 को दिन में लगभग 2:30 बजे ग्राम उचावद में बसंतीबाई के घर के समाने उसे लोकस्थान पर अश्लील गोलियां देकर उसे तथा सुनने वाले को क्षोभ कारित किया ?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, स्थान व समय पर बसंतीबाई को उपहति कारित करने को सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अनुशरण में आरोपी हीरालाल ने बसंतीबाई को धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वैच्छा उपहति कारित की ?

03. क्या आरोपी हीरालाल ने उक्त दिनांक, स्थान व समय पर बसंतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

06 विचारणीय प्रश्न 02 पर निष्कर्ष:-

01. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में बसंतीबाई (असा.1) का कथन है कि घटना 3 वर्ष पूर्व दोपहर 12 बजे की है। वह अपने घर पर थी तब आरोपी हीरालाल उसके घर पर कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी, उसके सर से खून निकला घटना में बीच बचाव करने कोई भी नहीं आया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर की जिस पर अंगुठा लगाया । फरियादीया ने स्पष्ट किया है की प्रपी-1 कि रिपोर्ट केवल आरोपी हीरालाल के विरुद्ध की थी आरोपी सालकराम ने उसके साथ कोई घटना नहीं की साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी सालकराम कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर आया था, तथा उसने प्रपी-1 की रिपोर्ट एवं प्रपी-2 के कथन सालकराम के विरुद्ध ही पुलिस को बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका सालकराम से राजीनामा हो गया, किन्तु इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा होने के बाद वह आरोपी सालकराम के पक्ष में असत्य कथन कर रही है।

02. अभियुक्त हीरालाल की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादीया ने स्वीकार किया है कि हीरालाल से उसकी बातचीत बंद है, यदि हीरालाल उसे रुपये 5000/- दे, दे तो वह उससे भी समझौता कर लेगी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार कर

दिया। उसके साथ हिरालाल ने कोई घटना नहीं की थी।

07. महेश (असा.2) का कथन है कि 3 वर्ष पूर्व वह बसंतीबाई के महोल्ले में बैठा था तब आरोपी हिरालाल बसंतीबाई के साथ खिचतान कर रहा था और बसंतीबाई को एक-दो थप्पड़ मारे थे। साक्षी ने नक्शामौका प्रपी-3 पुलिस को बताना भी कहा है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पुछने पर साक्षी ने यह ध्यान होने से इंकार किया कि बसंतीबाई को हिरालाल ने सिर पर कुल्हाड़ी मारी थी, साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि जब हिरालाल ने बसंतीबाई को कुल्हाड़ी मारी थी तब सालकराम भी साथ में था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08. राजाराम (असा.3) तथा दिनेश (असा.5) ने भी अभियोजन के मामले को कोई समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों की साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समझ सुझाव से इंकार किया।

09. निर्भयसिंह (असा.6) का कथन है कि दिनांक 07.04.12 को थाना अंजड के अपराध क्रमांक 93/12 की विवेचना के दौरान उसने घटना स्थल का नक्शामौका प्रपी-3 का बनाया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी के पेश करने पर एक पुरानी कुल्हाड़ी प्रपी-8 के अनुसार जप्त की थी। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादीया बसंतीबाई को साक्षीगण के कथन उसने बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त हिरालाल की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सड़ सुझाव से स्पष्ट किया है कि बसंतीबाई या किसी अन्य साक्षी ने हिरालाल द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली बात नहीं बताई। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने बसंतीबाई के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की।

10. डॉ.सचिन (असा.4) का कथन है कि दिनांक 07.04.2012 को प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र अंजड से आरक्षक जगन्नाथ द्वारा आहत बसंतीबाई पति मोहन उम्र 50वर्ष का मेडिकल परीक्षण पर लाये जाने पर उसने आहत का चिकित्सीय परीक्षण कर बाये काने के सामने एक कटा हुआ भाग जिसका आकार 1.5 से.मी. गुणित आधा सेमी पाया था जो किसी हल्के धारदार हथियार से आना पाया था। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी साक्षी ने उसका चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-6 का प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसने प्रपी-6 के प्रतिवेदन में चोट की समयावधि का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोटे स्वयं द्वारा भी कारित की जा सकती है।

11. आरोपी हिरालाल के अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की रिपोर्ट विलंब से की गई है, तथा डॉ. ने उक्त चोट स्वयं द्वारा कारित होना भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता। उनका यह भी तर्क है कि किसी अभियोजन साक्षी ने बसंतीबाई (असा.1) के कथन का समर्थन भी नहीं किया।

12. यह सही है कि घटना की रिपोर्ट विलंब से की है लेकिन रिपोर्ट में ही विलंब का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र विलंब के आधार पर अभियोजन का मामला शंका पर प्रतीत नहीं होता है, जहां तक चिकित्सीय साक्षी द्वारा बसंतीबाई को आई चोटे उसके स्वयं द्वारा कारित करने की सुझाव को स्वीकार करने

का प्रश्न है वहां आरोपी हीरालाल की ओर से बसंतीबाई (असा.1) के प्रतिपरीक्षण में यह सूझाव नहीं दिया गया कि उसने स्वयं को चोटे पहुचाई है ऐसी स्थिति में चिकित्सीय साक्षी के उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। जहां तक अन्य चरमदीय साक्षी के पक्ष विरोधी होने का प्रश्न है वहां किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों को विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होता है तथा फरियादी के कथन यदि विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है। प्रस्तुत मामलों में आरोपी हीरालाल द्वारा बसंतीबाई (असा.1) को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर उसके सिर में बाये तरफ चोट पहुंचाने के संबंध में फरियादीया के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है। जिसका कोई खंडन बचाव पक्ष की ओर से दिये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ तथा अपराध की विवचेना के दौरान निभर्यसिंह (असा.6) आरोपी से प्रपी-8 के अनुसार जप्त की थी। तथा डॉ. सचिन (असा.4) बसंतीबाई द्वारा रिपोर्ट में लिखाये गये शरीर के भाग पर धारदार वस्तु से उक्त चोट बाये कान के सामने होना पाई गई, उक्त प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर पुष्टिकारक जिसका कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी हीरालाल ने दिनांक 06.04.12 को दोपहर के 2:30 बजे ग्राम उचावल में बसंतीबाई को धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मार का स्वैच्छापूर्वक अपहति कारित की जो कि भादस की धारा 324 का अपराध है, जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः आरोपी हीरालाल पिता रंछौड निवासी उचावद को भा.द.सं. की धारा 324 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

13 जहां तक आरोपी हीरालाल का संबंध है वहां फरियादीया बसंतीबाई (असा.1) ने सालकराम द्वारा धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। शेष अभियोजन साक्षी ने भी आरोपी सालकराम के विरुद्ध भी कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आरोपी को भी भा.द.सं. की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता। अतः आरोपी सालकराम भा.द.सं. की धारा 324 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

14 विचारणीय प्रश्न 01 व 02 पर निष्कर्ष:-

01. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में बसंतीबाई (असा.1) का कथन है कि हीरालाल ने उसे माँ बहन की अश्लील गॉलिया दी तथा जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि आरोपी द्वारा दी गई गॉलियों से उसे क्षोभ कारित हुआ तथा दी गई धमकीयों से वह भयभीत हो गई। शेष अभियोजन साक्षी ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये ऐसी स्थितियों में अभियोजन साक्ष्य के अभाव में भादस की धारा 294 तथा 506 का अपराध आरोपी की ओर प्रमाणित नहीं होता अतः भा.द.सं. की धारा 294, व 506 भाग 2 के अपराध प्रमाणित नहीं होने से आरोपी हीरालाल को उक्त धारा के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

15. आरोपी सालकराम के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. आरोपी हीरालाल को भादस की धारा 324 की अपराध में दोषी घोषित किया गया है। प्रकरण की परस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपी को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता अतः सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

पुनश्च:- सजा के प्रश्न पर आरोपी हीरालाल और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना

गया उनका निवेदन है कि आरोपी गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित व्यक्ति हैं तथा विचारण नियमित रूप से सामना कर अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

17. यह सही है कि आरोपी मध्यम आयु का गरीब अशिक्षित व्यक्ति हैं तथा विचारण का सामना शीघ्रता से किया है तथा विचारण के दौरान हीरालाल अभिरक्षा में भी रहा है। जिसे देखते हुये आरोपी हीरालाल को और अधिक कारावास से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आरोपी हीरालाल को भादस की धारा 324 में दोषी ठहराते हुये निरोध में बिताये गये दिनांक 09.04.15 से लेकर दिनांक 06.06.2015 तक के कारावास से दंडित किया जाता है।

18. आरोपी हीरालाल के भी जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते है जप्त कुल्हाड़ी मुल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। आरोपी हीरालाल को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

19. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.